मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः07.04.2026

थाना को0कटरा पुलिस द्वारा कूटरचित/फर्जी दस्तावेज के माध्यम से अवैध रूप से भारत में निवास कर रहे 04 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 04 अदद मोबाइल फोन सहित अन्य दस्तावेज बरामद —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा वांछित/वारण्टी/इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी सहित संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना को0कटरा पुलिस द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग करते समय फर्जी दस्तवाजे के माध्यम से भारत में अवैध रुप से निवास कर रहे 04 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांकः06.04.2026 को थाना को0कटरा पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थी कि इस दौरान रेलवे स्टेशन मीरजापुर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति पर नजर पड़ी, संदेह होने पर पूछताछ की गयी तो उसने अपना नाम पता मो0 सबूज हुसैन पुत्र मो0 समसुलहक निवासी दनाजपुर थाना पीरगंज जिला ठाकुरगांव/ठाकुरगंज विभाग रंगपुर (प्रदेश) बंगलादेश बताते हुए यह भी बताया कि उसका भाई सब्बीर हुसैन जो बांग्लादेश से मुझे व 02 अन्य साथियों के साथ लाया है जो वर्तमान समय में डगमगपुर पड़ी मीरजापुर में प्रदीप सिंह के पी0के0 क्रेशर पर कार्य करते है। अभियुक्त की निशानदेही पर उपरोक्त क्रेशर प्लांट से 03 अन्य अभियुक्तों सब्बीर हुसैन पुत्र मो0समसुलहक निवासी दनाजपुर थाना पीरगंज जिला ठाकुरगंज विभाग रंगपुर(प्रदेश)बांग्लादेश, नरेशदास पुत्र सुनील दास ग्राम बाराबन्दर योगेन्दर बाबू मठ थाना कोतवाली दनाजपुर विभाग रंगपुर (प्रदेश)बांग्लादेश व जयदास पुत्र नमोचन्द्रदास ग्राम नरेशदादा के गांव बांग्लादेश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 04 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। बरामद मोबाइलों से आधार कार्ड व पैन कार्ड, बांग्लादेश की वोटर आईडी व पासपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज बरामद हुए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-94/2026 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस, 2/17 नागरिकता अधिनियम व 3/21 अप्रवास व विदेशियों विषयक अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग बांग्लादेश से दलाल को पैसे देकर सीमा/नदी पार कर पश्चिम बंगाल के रायगंज पहुंचे, वहां से कालियागंज रेलवे स्टेशन से ट्रेन के माध्यम से उ0प्र0 आगरा गए और काम की तलाश में आगरा से मीरजापुर आयें। जहां डगमगपुर पड़री में पी0के0 क्रेशर पर अपनी बांग्लादेशी पहचान छुपाकर काम करने लगे तथा सब्बीर व मो0सबूज ने फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेज तैयार

कर ग्राम दसौती पोस्ट सौधी जिला कैमूर बिहार के पते पर अपना आधार कार्ड व पैन कार्ड बनवा लिया और तब से हम लोग प्रदीप सिंह के क्रेशर पर काम कर रहे थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.सब्बीर हुसैन पुत्र मो0समसुलहक निवासी दनाजपुर थाना पीरगंज जिला ठाकुरगंज विभाग रंगपुर(प्रदेश)बांग्लादेश,उम्र करीब-26 वर्ष।

2.मो0सबूज हुसैन पुत्र मो0समसुलहक निवासी दनाजपुर थाना पीरगंज जिला ठाकुरगंज विभाग रंगपुर(प्रदेश)बांग्लादेश,उम्र करीब-24 वर्ष।

3.नरेशदास पुत्र सुनील दास ग्राम बाराबन्दर योगेन्दर बाबू मठ थाना कोतवाली दनाजपुर विभाग रंगपुर (प्रदेश)बांग्लादेश,उम्र करीब-28 वर्ष।

4.जयदास पुत्र नमोचन्द्रदास ग्राम नरेशदादा के गांव बांग्लादेश, उम्र करीब-28 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

04 अदद मोबाइल फोन।

मोबाइल से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बांग्लादेश की वोटर आईडी व पासपोर्ट।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-94/2026 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस, 2/17 नागरिकता अधिनियम व 3/21 अप्रवास व विदेशियों विषयक अधिनियम, थाना को0कटरा, मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

भिन्न भिन्न स्थानों से, दिनांक 06.04.2026 को समय 22:00 बजे।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उपनिरीक्षक वैद्यनाथ सिंह, थानाध्यक्ष को0कटरा, मीरजापुर।

उपनिरीक्षक नन्हक सिंह, उपनिरीक्षक कृष्णकान्त त्रिपाठी, चौकी प्रभारी नटवां, थाना को0कटरा, मीरजापुर।

मुख्य आरक्षी अरूण कुमार व परवेज अंसारी, थाना को0कटरा, मीरजापुर

DRIVE.

****